बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम

विज्ञापन संख्या–43/2025 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग में निम्नवर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित मुख्य (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा एवं Typing and Computer Test के आधार पर कुल–29 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

दिनांक एवं दिन	प्रथम पाली (समयः 10:00 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 2:00 बजे अपराह्न से)
	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
25.02.2026 (बुधवार)	600627, 601376, 602922, 603073, 603341, 603690, 603825, 604126, 604476, 604602, 608905, 609175, 609729, 613782	614080, 615497, 615612, 615622, 618302, 618321, 618418, 618744, 618838, 618940, 619550, 620430, 620437, 620745, 620790

1. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन पत्र, दस्तावेज सत्यापन प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व से आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा। जिसे उम्मीदवार अपना Application No/Roll No डालकर डाउनलोड कर सकते है। **दस्तावेज सत्यापन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा।**
2. आयोग के उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र– I में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी ।
3. ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है:–
   (i) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की Hard Copy की प्रति।
   (ii) उम्मीदवार उक्त विज्ञापन के मुख्य (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा की निर्गत ई–प्रवेश पत्र ।
   (iii) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र।
   (iv) इंटरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।
   (v) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) लाना अनिवार्य है।
   (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र) लाना अनिवार्य है।
   (vii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
   (viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र। EWS के आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलायें यदि अपने पति के नाम से निर्गत EWS प्रमाण पत्र समर्पित करती हैं तो ऐसी महिला उम्मीदवारों को अपनी पिता के स्थायी मूल निवास के आधार पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा EWS आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
   (ix) अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
   (x) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग/संस्थान के प्रधान/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
   (xi) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ ।
   (xii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
4. यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

   शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने ऑनलाईन आवेदन में किया है से सम्बन्धित मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि विज्ञापन संख्या–43/2025 के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की **अंतिम तिथि–29.07.2025 के पूर्व** का होना आवश्यक है।
5. ऑनलाईन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा अंकित किये दावा के अनुसार शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती का प्रमाण पत्र इत्यादि विज्ञापन की शर्त्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने/उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
6. सभी उम्मीदवार अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा– आधार कार्ड, इत्यादि मूल में एवं इसकी 01 छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे। मोबाइल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
8. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

20/12/25

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना